न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
उनवान कालूराम वगै0 बनाम परत्या वगै0

वाद संख्या–55/2013

दिनांक निर्णय–12.12.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा उद्घोषणा खातेदारी अधिकारत, तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामि वादी कालूराम पुत्र उदा जाति सैनी निवासी बसवा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 19.03.2013 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार वादीगण ने दिनांक 11.07.1985 को भूमि ख0 नं0 3020 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व कूप ख0 नं0 3060 रकबा 3 बिस्वा का हिस्सा 1/4 वाके रामा बसवा को भूमि के खातेदार सुआलाल पुत्र जगन्नाथ सुनार निवासी बसवा के जरिये पंजीकृत बयनामा खरीदकर कब्जा सम्भाला था वादीगण उक्त दिन से भूमि उपरोक्त पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि उक्त पूर्व ख0 नं0 3020 रकबा 7 बिस्वा के नये नम्बरान क्रमशः ख0 नं0 7284 रकबा 0.02 है0 व ख0 नं0 7286 रकबा 0.58 है0 बनाये गये है। वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि का नामांतकरण सं0 94 दि0 25.05.1994 को स्वीकृत भी हो चुका था परन्तु बंदोबस्त के अहलकारान ने गलती से वादीगण के नामान्तकरण का जमाबंदी में इन्द्राज नही किया।

वादीगण के विक्रेता सुआलाल ने भूमि वादग्रस्त को भूमि के खातेदार रेवड, परत्या, रामसहाय, मूलचन्द पि0 हेता, मु0 छोटा बेवा तुलस्या, बिहारी पुत्र भोला, रामधन पि0 मन्ना से दिनांक 26.06.1978 को जरिये पंजीकृत बिक्री पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका नामांतकरण सुआलाल के नाम नामांतकरण सं0 1781 दिनांक 18.12.1988 को दर्ज करने का इन्द्राज जमाबंदी सं0 2039 से 2042 में कर दिया गया था।

दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 ला0 5, 7 ला0 14 की जवाब पेशी हुआ। तनकीयात कायम की गई। दिनांक 7.7.17 को

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण की ओर से वादी गिर्राज प्रसाद का शपथ पत्र पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र मे किये गये कथनो को दोहराते हुये बताया की वादीगण द्वारा भूमि वादग्रस्त को जरिये पंजीकृत बिक्री पत्र दिनांक 11.7.1985 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण के नाम भूमि वादग्रस्तका नामांतकरण नं0 94 दिनांक 25.5.1992 को स्वीकृत भी हो चुका है। परन्तु बंदोबस्त ने अहलकारान ने गलती से वादीगण के नामांतकरण का जमाबंदी में इन्द्राज नही किया। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को भूमि ख0 न0 7284 रकबा 0.02 है0, 7286 रकबा 0.58 है0 का पंजिकृत बिक्री पत्र दिनांक 11.7.1985 के अनुसार काश्तकार खातेदारान घोषित करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात बिक्री पत्र दिनांक 11.7.1985, नामांतकरण सं0 94 दिनांक 25.5.1992 एवं बिक्री पत्र दिनांक 12.6.1978 एवं नामांतकरण सं0 1781 दिनांक 18.12.1988 एवं मिलान दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

बहस वादीगण एवं दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने भूमि वाद ग्रस्त दिनांक 11.7.1985 को सुआलाल पुत्र जगन्नाथ सुनार निवासी बसवा से जरिये पंजिकृत बिक्रि पत्र खरीद की है। जिसका नामांतकरण भी वादीगण नाम दिनांक 25.5.1992 को स्वीकृत हो चुका था। जिसका अमल बंदोबस्त, अधिकारीयो द्वारा गलती से जमाबंदी में नही हुआ है। वादीगण के विक्रेता सुआलाल पुत्र जगन्नाथ सुनार द्वारा भूमि के पूर्व खातेदारान जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज थें सें दिनांक 12.06.1978 को जरिये रजिस्टर्ड बिक्रि पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त करना था और नामांतकरण सुआलाल के पक्ष में दिनांक 18.12.88 को स्वीकुत होना साबित है जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 में भी हो रहा है।

प्रतिवादीगण के पूर्वज भूमि वादग्रस्त को पूर्व में ही बिक्रि कर चुके है। इस कारण भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर (राज.)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि ख0 नं0 7284 रकबा 0.02 है0 एवं ख0 नं0 7286 रकबा 0.58 है0 वाके रामा बसवा तह0 बसवा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई